प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला— जयपुर, थाना—प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर, वर्ष—2022 प्र0इ0रि0 सं. ....56/2022.................... दिनांक....22/02/2022

2. (i) अधिनियम... धारा 7 पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018
   (ii) *अधिनियम .... धारायें
   (iii) * अधिनियम .... धारायें ....
   (iv) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....479.............................. समय 6:35 Pm

(ब) अपराध घटने का दिन सोमवार दिनांक 21.02.2022 समय 2.17 पी.एम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :— लिखित /मौखिक— लिखित

5. घटनास्थल :—ल्हावद कुंड गंगापुर रोड, नादौती जिली करौली।
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:— बजानिब पूर्व करीब 167 किमी
   (ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6. (1)परिवादी /सूचनाकर्ता :—
   (अ) नाम— श्री बनैसिह मीना
   (ब) पिता/पति का नाम— श्री माधोलाल
   (स) जन्म तिथी— उम्र—
   (द) राष्ट्रीयता — भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय —
   (ल) पता— निवासी निवासी कूंजेला तहसील नादोती थाना—नादौती जिला—करौली

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : —

1. श्री निहाल सिंह पुत्र श्री कन्हैयाराम जाति गुर्जर उम्र 59 वर्ष निवासी गांव नौरंगाबाद तहसील श्री महावीरजी पुलिस थाना श्री महावीर जी जिला करौली, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना नादौती जिला करौली

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :—.........

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)..

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य— 10000/— रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):—

दिनांक 17.02.2022 को समय करीब 01:00 पी.एम. पर श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मुझ पुलिस निरीक्षक भंवर सिंह को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके कार्यालय में बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री बन्ने सिंह है, जिन्होने यह हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना—पत्र मुझे सौंपते

हुये नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री बन्ने सिंह के मेरे कक्ष में आया तथा श्री बन्ने सिंह से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बन्ने सिंह पुत्र श्री माधोलाल उम्र 34 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम पोस्ट कुंजेला तहसील नादौती, पुलिस थाना नादौती जिला करौली ,मोबाईल नंबर 8890536825 होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बन्ने सिह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर दितिय, विषय रिश्वत लेते हुए पकडवाने बावत, महोदय, निवेदन है कि अगस्त 2021 को मै मुनीराम के साथ मेरी मोटर साईकिल पर अपने गाव कूंजेला से दौसा जा रहा था मुनीराम मुडिया खेडा उतर गया था मुनीराम चोरी के मामले मे थाना मानपुर मे पकड़ा गया था उसके पश्चात मुनीराम को चोरी के मामले मे थाना नादौती जि0 करौली मे ले आये उस के काफी समय बाद निहाल सिंह थानेदार थाना नादौती का दिनाक 12, 14, 15.02.22 को मेरे मोबाइल न0 8890536825 पर उसके मोवाइल न0 9799637495, 9587436542 से फोन आया और कहा कि मुनीराम को चोरी के मुकदमे मे मैने बन्द किया था जिसमे तू भी शामिल था यदि तेरे को मुकदमे से निकलना है तो अब मुझे 50000 रू देने पडगे यदि तू रू0 नही देगा तो तुझे अन्य चोरी के मुकदमे मे फसाकर जेल भेज दूगा मे थोनदार निहालसिंह को रिश्वत नही देना चाहता हूं मे उसको रगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं मेरा निहालसिंह कोई रू0 पैसे का लेनदेन बाकी नही है रिपोट कर्ता हू कार्यवाही की जाय। भवदीय एसडी बनैसिह मीना S/O श्री माधोलाल जाति मीना निवासी कूंजेला तहसील नादोती थाना--नादौती जिला--करौली फोन न0 8890536825 दिनाक-- 17--2--2022 परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि उक्त अधिकारी मेरे से चोरी के मुकदमे में शामिल होना बताकर रिश्वत मांग कर रहा है। श्री निहाल सिंह थानेदार ने दिनांक 12,14 एवं 15.02.2022 को अपने मोबाईल नम्बर 9799637495, 9587436542 से मेरे मोबाईल नम्बर 8890536825 पर रिश्वत मांगने हेतु फोन किया था। इसके अतिरिक्त श्री निहाल सिंह दिनांक 13.02.2022 को मेरे गांव कुंजेला मेरे घर पर आकर मुझे कहा कि तेरे को चोरी के मुकदमें से बचना है तो 50000/--रूपये मुझे देने पडेंगे। जिस पर मैं उक्त अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने का मन बनाते हुये आज आपके कार्यालय मैं आया हूं। उपरोक्त समस्त तथ्यों से मामला प्रथम दृष्टया लोक सेवक द्वार रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत लेन देन से पूर्व रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर दिनांक 17.02.2022 को समय करीब 1.30 पी.एम. पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उसका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री बन्ने सिंह को चलाने व बंद करने की विधि समझाई जाकर श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 01 को कार्यालय में तलब कर परिवादी से परिचय करवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 01 को सुपुर्द किया गया। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि आरोपी के पास जाकर उससे रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करें और सम्बन्धित वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. 01 एवं श्री सफी मोहम्मद कानि. 173 को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। इसके पश्चात् समय करीब 3.40 पी.एम. पर श्री राजपाल गोदारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर द्वितीय ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय में बुलाकर कहा कि श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. ने मुझे बताया कि मेरी परिवादी से बात हुई तो परिवादी ने कहा कि आज नादौती पहुचने में शाम हो जायेगी, इसलिए संदिग्ध आरोपी मिलने की संभावना नही है। इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आज नही हो पायेगी कल ही हो पायेगी। अतः आप कल दिनांक 18.02.2022 को सुबह 9--10 बजे के करीब मुझे नादौती से गंगापुर रोड पर ल्हावद कुंड जगह पर मिल जाना। इस पर मैने श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. को निर्देशित किया कि आप परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना करे एवं आप व सफी मोहम्मद परिवादी द्वारा बताये गये समय व स्थान पर गोपनीयता बनाये रखते हुये पंहुचे व